

## GOVERNMENT OF RAJASTHAN REVENUE DEPARTMENT

Certificate Ref. No: PCCL/2022-23/101313

Date: 07-12-2022

#### FORM-D

[See Rule 10(4)]

Office of Prescribed Authority: SUB DIVISIONAL OFFICER, SHRIMADHOPUR REVISED CONVERSION ORDER


On the application of SHRI GANPATRAM MEMORIL SHIKSHA SAMITI S/O NA of village AJEETGARH (CT) Tehsil SRI MADHOPUR, the agricultural land already converted for a non-agricultural purpose is here by converted for revised non-agriculture purpose under rule 10(4) of the Rajasthan Land Revenue (Conversion of Agricultural Land for Non-Agricultural in Rural Areas) Rules, 2007, the particulars of which are given as under:

5.No.	Name of Applicant Khatedar/Tenants:	Father's/ Husabnd's Name:	Social Category (SC/ST/GEN/OBC/etc)	Complete Address
1	SHRI GANPATRAM MEMORIL SHIKSHA SAMITI	NA NA	GENERAL	AJEETGARH

1. Purpose of original conversion: RESIDENTIAL UNIT Number and Date of the order: 7254-58, 12/1/2005

- 2. Revised Purpose of conversion: INSTITUTIONAL PURPOSE & MEDICAL FACILITIES
- 3. Conversion type (Sub Category): INSTITUTIONAL PURPOSE
- 4. Details of the Land converted:
  - (a) Name of the District/ Tehsil/ Village: SIKAR/ SRI MADHOPUR/ AJEETGARH (CT)
  - (b) Khasra No. of the land: 2615/1295
  - (c) Area of each Khasra No. (in square meter): 3604
  - (d) Area converted of each Khasra No. (in square meter): 3604
  - (e) Area converted (in sq. meter): 3604
- 5. Rate of conversion payable on original conversion (₹): 2/-
- 6. Amount of premium deposited with original conversion (₹): 5950/-
- 7. Rate of conversion charges payable on revised converion(₹): 27.74/-
- 8. Amount of premium deposited (3) with revised converion, date and no. of challan: 72251/-, 02/12/2022,
- 9. Amount of penalty deposited (₹), if any, with date and no. of challan: 0/-
- 10. Amount of interest deposited (₹), if any, with date and no. of challan: 0/-





प्रमाणित फोटो प्रति उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature valid

OFFICER SHRIMADHORU Date: 2022.12.0 Reason: Approv



This is a digitally signed certificate and does not require any physical signature.

#### Terms and Conditions

The above conversion order shall be subject to the following conditions: -

i. The land converted for the above non-agricultural purpose shall not be used for any other non-agricultural purpose, without obtaining prior permission of the Prescribed Authority.

ii. If the applicant fails to use the land for the revised converted purpose within a period of 2 years from the date of issue order, money deposited by the applicant shall be forfeited.

iii. No land as mentioned in rule 4 shall be used for any non-agricultural purpose.

iv. No part of the land converted for public utility purpose shall be used for any other non-agricultual purpose

without valid permission from the Prescribed Authority.

V. As per conversion of (agricultural land in rural area) rules 2007, 2012 & other amended order. Norm prescribe vide letter no. P2(63)REVANUE-9/LR/2021 AIPUR date 18.11.2021 in to be strictly.

#### Copy to:-


. TEHSILDAR SHRIMADHOPUR

प्रमाणित फोटो प्रतिरि

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)









This is a digitally signed pertificate and does not require any physical signature.

#### प्रारूप ख

# देखिए नियम 8(2)और (3)

# कार्यालय उपखण्ड अधिकारी ,श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

如用的/如何/19/9452-/57

## संपरिर्वतन आदेश

श्री गणपत राम मैनोरियल शिक्षा समिति जरियं सचिव के आदेवदन पत्र पर असकी खालेदारी अभिष्टृति से आधारित आवासीय भूमि राजस्थान / राजस्व / ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय भूमि का अवृष्टि प्रयोजना के लिए नियम 1192 के नियम 8(2) (3) किया जाता है जिसकी विशिष्टिया नीचे दी गई हैं।

	(1019)
1.आवेदक खातेदारी का नाम	श्री गणपत राम मैमोरियल शिक्षा समिति जरिये सचिव श्री मेघराज यादव निवासी चकमनोहरपुर जयपुर
2.क्या आवेदक अनुस्चित जाति/जनजाति का सदस्य हैं।	नहीं
3 संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा (क) ग्रम पंचायत तथा तहसील का नाम (ख) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा सक्षेत्रफल /है./वर्गमीटर में (ग)प्रत्येक खसरा संक्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्र./है./वर्गमीटर	1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4.सपारवतन का प्रायोजन	शेक्षणिक प्रयोजनार्थ
5 संदेय प्रीमियम की दर	8/-रूपये प्रति वर्गमीटर
6. चलान की सं. तथा तारीख सहित जमा कराई प्रीमियम की रकम	च.न. 22472319 दिनांक 23/04/2018 राशि 2500/रू
7.चालान की सिद्धेंग तथा तारिख सहित शास्ति यदि कोई हो तो जमा कराई गई रकम	च.न. 22472319 दिनांक 23/04/2018 राशि 2500/रु
8. चालान की संख्या तथा तापूर्व सहित ब्याज यदि कोई जमा करोड़ गई रकम	राज्य
9.वया आदेश नियमीतीकरण के लिए नियम 12 के अधीन जारी किया गया हैं।	ST CONTRACTOR OF THE PARTY OF T
10.अन्य विशिष्ट्यां यदि कोई हो	इंडियन रोड़ कांग्रेस के मापवण्डों के अनुसार भूमि छोड़ते हुये

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर्)

THE MANY खपखण्ड अधिकारी श्रीमाघोपुर सीकर

उपयुक्त समस्यान आदेश निम्मलिखित शर्ती क अध्यधीन होगा-

ा. इंडियन संड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार वर्णित सड़कों में सड़कों के सर्व सज्यपक्ष में छोड़तें हुये परिवर्तन की कार्यवाही की जायेगी।

असंपरिवर्तित भूमि का विकय /अन्तरण नियम 11 के अनुसार बिना प्राधिकृत अधिकारी की लिखित सम्मति प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।

उपित आवेदक इस आवंश के जारी होने की तारिख से 2 वर्ष की कालाविध के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता हैं तो अनुङ्गा प्रत्याहूत कर ली जावेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया प्रीमियम धन

4. यदि प्रार्थी इंडियन रोड, कांग्रेस के मापदण्डों में वर्णित सडक मार्ग से रास्ता चाहते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी । यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़कों से रास्ता चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विमाग से अनुमति लेनी होगी।



कंमाक :- राजस्व / भू / रूपा / प्रतिलिपि निम्न का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित हैं:-1. श्रीमान जिला कलेवटर महोदय सीकर

2. तहसीलदार,श्रीमाधोपुर

3. सरपंच ग्राम पंचायत अजीतगढ़

4. हल्का पटवारी अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर को भेजकर आदेश हैं कि राजस्व रिकार्ड में अंकन कर

5. रक्षित पत्रावली

्र भारता । अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीक्स्)

> उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

अधिकारी अमाधोपुर (सीकर)